

‘भगिनी प्रसूतिसहायता योजना’का नाम अब ‘मिनीमाता महतारी जतन योजना’

चर्चा में क्यों?

23 मई, 2022 को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हतिग्राहियों के लिये संचालित ‘भगिनी प्रसूतिसहायता योजना’में पूर्व में जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए अब इस योजना का नाम ‘मिनीमाता महतारी जतन योजना’ कर दिया गया है।

प्रमुख बढि

- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ‘भगिनी प्रसूतिसहायता योजना’को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के असंगठित क्षेत्रों के कमजोर आय वर्ग की श्रमिक महिलाओं को प्रसूति के लिये आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करना है।
- इसके लिये गर्भधारण के बाद से प्रसूति तक महिलाओं को उचित व भरपूर आहार हेतु सहायता राशि प्रदान की जाती है, इससे महिलाओं व बच्चे के शरीर को गर्भावस्था में आहार व पोषण की कमी और आर्थिक समस्या नहीं होती।
- योजना के तहत 10000/- रुपए प्रसूति लाभ दिया जाता है, जिसमें से 5000/- रुपए गर्भधारण के प्रथम तमिही में एवं शेष 5000/- रुपए तृतीय तमिही (आठवें माह) में दिये जाते हैं। सहायता राशि का भुगतान सूचनाप्राप्त के 72 घंटे के भीतर कर दिया जाता है।
- योजना में शामिल होने के लिये पात्रता-
 - हतिग्राही के पति या पत्नी का पंजीयन आवश्यक।
 - महिला श्रमिक के गर्भधारण का अधिकृत सत्यापन डॉक्टर, एएनएम अथवा मतिनीन के द्वारा होना अनिवार्य।
 - सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थानों में कार्य कर रहे निर्माण श्रमिक की पत्नी को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
 - प्रसूति योजना का लाभ अधिकतम दो बार के प्रसव हेतु ही देय होगा।
 - लाभ की पात्रता पंजीयन के 90 दिवस के उपरांत।